डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री हेमराज गुर्जर ,आर.ए.एस

अन्नू उर्फ अन्नूराम बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 243/2019 व हाजरी वादी

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू .....– मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दद्व व ..... डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा न. 1144 रकवा 0.51 है. वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई पर वादी अन्नू उर्फ अन्नूराम जाति कोली के आगे ग्राम का नाम पिचूना तहसील रूपवास खातेदार शुद्ध किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं करें। जिससे वादी के अधिकारों पर जबाल आवे।

बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27.01.2021 को जारी की गई ।

दस्तखत————————

सहायक कलक्टर

मुहर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:16 IST
Reason: SelfAttested

1. अन्नू उर्फ अन्नूराम उम्र 54 वर्ष पुत्र डालू जाति कोली निवासी पिचूना तह. रूपबास (भरतपुर)राज.

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोद्‌य भरतपुर।
2. तहसीलदार नदबई.

प्रतिवादीगण

27/01/21
सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 143 / 2019
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 27.01.2021

1. अन्नू उर्फ अन्नूराम उम्र 54 वर्ष पुत्र डालू जाति कोली निवासी पिचूना तहसील रूपबास (भरतपुर)राज.

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोद्य भरतपुर।
2. तहसीलदार नदबई.

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मणसिंह एड0(वादीगण)

पैरोकार सरकार(प्रतिवादीगण)

निर्णय दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादीगण एवं प्रतिवादी में से ऐसा कोई सख्श नहीं है, जो दावा लडने योग्य नहीं यानि दोनों पक्षकारान मुकदमा लडने में सक्षम है।
2. यह कि हाल आराजी खसरा न. 1144 रकवा 0.51 वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई में स्थित है। जिसका वादी खातेदार व काश्तकार है।
3. यह कि विवादित आराजी का हाल खसरा न. 1144 वाके ग्राम गादौली सैटलमेन्ट संबत 2060 के पूर्व के साविक खसरा न. 835 रकवा 2 वीघा वाके ग्राम गादौली से बना है। साविक खसरा न. 835 रकवा 2 वीघा वाके ग्राम गादौली को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 13.06.1996 को प्रतिफल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

45200 रूपये देकर मंगल पुत्र वैशाखी जाति चमार निवासी हसनपुर तहसील मांठ जिला मथुरा उत्तरप्रदेश से क्रय किया था तथा कब्जा भी उसी दिनांक 13.06.1996 को उक्त मंगला से विवादित आराजी पर मौके पर प्राप्त कर लिया था। जिसका इंतकाल न. 485 खोला जाकर ग्राम पंचायत गादौली द्वारा दिनांक 12.10.1997 को तस्दीक किया गया था तथा जमाबंदी संवत 2050 से 2053 ग्राम गादौली तहसील नदबई में वादी के नाम अमल दरामद खातेदारी हो गई थी, परन्तुसैटलमैट डिपार्टमैन्ट ने दौरान सैटिलमैट संवत 2060 में वादी अन्नू पुत्र डालू जाति कोली के सामने वादी के ग्राम का नाम पिचूना अंकित नही किया गया तथा साकिन तहसील रूपवास खातेदारी अंकित किया गया जबकि वादी के ग्राम का नाम पिचूना है। तथा वादी ग्राम पिचूना का स्थाई निवासी है। विवादित आराजी पर वादी के ग्राम पिचूना के इन्द्राजात ना होने से प्रतिवादी स. 1 के अधिनस्थ प्रतिवादी स. 2 व प्रतिवादीगण स. 1 व 2 के अधिनस्थ हल्का पटवारी ग्राम गादौली ने वादी को दिनांक 24.07.19 को यह धमकी दि है कि वादी के नाम के समक्ष उसके ग्राम का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित नहीं है। इसलिये वह वादी के पक्ष में कृषि क्रेडिट कार्ड की पत्रावली बना कर नहीं देगा तथा उक्त आराजी से वादी को वेदखल करके रहेगा। ऐसी स्थिति में वादी को अदालत श्रीमान में दावा पेश करने का हक हासिल नहीं है।

4. यह कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में सैटिलमेन्ट सं. 2060 के सैटिलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र की विवादित आराजी खसरा न. 1144 रकवा 0.51 वाके ग्राम गादौली तहसली नदबई में वादी के ग्राम का नाम पिचूना छोड देने से व अंकित न होने से व आगे की जमाबंदीयों में भी वादी के नाम के आगे वादी के ग्राम का नाम अंकित होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडता है। अतः वादी विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र में अपने आपको खातेदार काश्तकार व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है।

5. यह कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के अधीनस्था हल्का पटवारी व प्रतिवादी सं. 2 ने वामुकाम गादौली तहसील नदबई पर दिनांक 24.07.2019 को वादी को धमकी दी है कि विवादित आराजी खसरा न. 1144 वाके ग्राम गादौली पर वादी का नाम पिचूना अंकित नहीं है। इसलिये वादी के पक्ष में किसान क्रेडिट कार्ड की पत्रावली नहीं बनाकर देगा। अगर प्रतिवादी सं. 1 के अधीनस्थ तहसीलदार नदबई एवं हल्का पटवारी ग्राम गादौली अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार नहीं हो सकेगी। अतः वादी प्रतिवादी सं. 2 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं कि वे उक्त विवादित आराजी के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा वादी को उक्त आराजी से बेदखल न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:16 IST
Reason: SelfAttested

महाराज कलक्टर
[illegible]

6. यह कि प्रतिवादी सं. 1 को धारा 80 जा. दी. का नोटिस दिया जा चुका है लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का है। इसलिये धारा 80(2) जा.दी.के तहत नोटिस की म्यांद पूरी होने से पहले ही दावा पेश करने की इजाजत चाही गई है जो दी जावे। अंत में प्रार्थना की है कि विवादित आराजी खसरा न. 1144 रकवा 0.51 वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई का वादी खातेदार काश्तकार काबिज है, तथा वादी अन्नू उर्फ अन्नूराम जाति कोली के आगे ग्राम का नाम पिचूना तहसील रूपबास खातेदार की शुद्ध किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। वादीगण की ओर से विद्वान वकील लक्ष्मणसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये। प्रतिवादी सं. 1 ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई उपस्थित हुये। जिनके द्वारा अपना जबाव दावा निम्नानुसार प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार है :–

1. वाद पत्र का बिन्दु सं. 1 स्वीकार है।
2. वाद पत्र का बिन्दु सं. 2 स्वीकार है।
3. वाद पत्र का बिन्दु सं. 3 रिकॉर्ड अनुसार आंशिक स्वीकार है क्योंकि वादी द्वारा विवादित आराजी ख. न. 835 रकवा 2 वीघा विक्रय पत्र अपने हक में तहरीर कराया था। जिसमें अनु पुत्र डालु जाति कोली साकिन पिचूना तहसील रूपवास अंकित किया है परन्तु रिकॉर्ड में नामान्तकरण सं. 485 से अन्नू पुत्र डालू जाति कोली साकिन पिचूना तहसील रूपवास अंकित नहीं किया है।
4. वाद पत्र का बिन्दु सं. 4 गलत होने से स्वीकार नहीं है वादी दावा खातेदारी घोषणा करा पाने के अधिकारी नहीं है।
5. वाद पत्र का बिन्दु सं. 5 गलत होने से स्वीकार नहीं है प्रतिवादी द्वारा कोई धमकी नहीं दी गई है।
6. वाद पत्र का बिन्दु सं. 6 स्वीकार नहीं है। वादिनली को दावा पेश करने से पूर्व अन्तर्गत धारा 80(1) जा.दी. के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक था। क्योंकि वादिनी का दावा अर्जेन्ट नेचर का मामला नहीं था।
7. वाद पत्र का बिन्दु सं. 7 कानूनी बिन्दू है, जो काबिले गौर अदालत है।
8. वाद पत्र का बिन्दु सं. 8 कानूनी बिन्दू है, जो काबिले गौर अदालत है।
9. वाद पत्र का बिन्दु सं. 9 कानूनी बिन्दू है, जो काबिले गौर अदालत है।
10. यह है कि प्रार्थना वादी स्वीकार है प्रार्थना वादी अस्वीकार है शेष कथन अस्वीकार दावा वादी काबिले खारिजी के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जबाब दावा के विवेचन के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम कि गई। जो इस प्रकार है।

1. आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वाद पत्र खसरा न. 1144 रकवा 0.51 वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई का खातेदार काबिज है, अन्नू उर्फ अन्नूराम जाति कोली के ग्राम का नाम पिचूना व इसके आगे तहसील रूपवास खातेदारी की शुद्धी करा पाने का अधिकारी है।
   – जिम्मेवादीगण
2. आया वादी प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अधीनस्थ हल्का पटवारी गादौली को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है
   –जिम्मेवादी
3. आया वादी का रिकॉर्ड में नामान्तकरण सं. 485 से अन्नू पुत्र डालू जाति कोली साकिन पिचूना तहसील रूपवास अंकित करने से सहवन रह गया है, जो काबिल दुरूस्ती के है– जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2074–77 वाके ग्राम गादौली प्रदर्श –1 नकल नामांतकरण सं. 485 वाके ग्राम गादौली प्रदर्श–2, नकल भूप्रबंन्ध विभाग वाके ग्राम गादौली प्रदर्श–3, नकल वयनामा फोटोप्रति दिनांक 13.06.1996 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबंध विभाग संबत 2060 वाके ग्राम गादौली प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संबत 2040–43 वाके ग्राम गादौली प्रदर्श – 6, पेश किये गये। उक्त गवाह के रूप में अन्नू उर्फ अन्नूराम पुत्र डालू जाति कोली निवासी पिचूना तहसील रूपवास पेश किये गये जिनसे प्रतिवादी पैराकार सरकार द्वारा जिरह की गई।

प्रतिवादी की ओर से अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश एवं मौखिक ब्यान पेश नहीं किये गये।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकल किया गया। वादीगण के विद्वान वकील द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है जिसमें विवादित आराजी ख0न0 1144 रकवा 0.51 हैक्ट वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई पर स्थित है। हाल खसरा न. 1144 वाके ग्राम गादौली सैटलमे[illegible] 2060 के पूर्व के साविक खसरा न. 835 रकवा 2 वीघा वाके ग्राम गादौली से ब[illegible] साविक खसरा न. 835 रकवा 2 वीघा वाके ग्राम गादौली [illegible] वयनामा दिनांक 13.06.1996 को प्रतिफल 45200 रूपये देकर मंगल पुत्र वैशाखी जाति चमार निवासी हसनपुर तहसील मांठ जिला मथुरा उत्तरप्रदेश से क्रय किया था तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

कब्जा भी उसी दिनांक 13.06.1996 को उक्त मंगला से विवादित आराजी पर मौके पर प्राप्त कर लिया था। जिसका इंतकाल न. 485 खोला जाकर ग्राम पंचायत गादौली द्वारा दिनांक 12.10.1997 को तस्दीक किया गया था तथा जमाबंदी संवत 2050 से 2053 ग्राम गादौली तहसील नदबई में वादी के नाम अमल दरामद खातेदारी हो गई थी, परन्तुसैटलमैट डिपार्टमैन्ट ने दौरान सैटिलमैट संवत 2060 में वादी अन्नू पुत्र डालू जाति कोली के सामने वादी के ग्राम का नाम पिचूना अंकित नही किया गया तथा साकिन तहसील रूपवास खातेदारी अंकित किया गया जबकि वादी के ग्राम का नाम पिचूना है। तथा वादी ग्राम पिचूना का स्थाई निवासी है। विवादित आराजी खसरा न. 1144 रकवा 0.51 वाके ग्राम गादौली तहसली नदबई में वादी के ग्राम का नाम पिचूना छोड देने से व अंकित न होने से व आगे की जमाबंदीयों में भी वादी के नाम के आगे वादी के ग्राम का नाम अंकित होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडता है। अतः वादी विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र में अपने आपको खातेदार काश्तकार व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है। विवादित आराजी खसरा न. 1144 रकवा 0.51 वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई का वादी खातेदार काश्तकार काबिज है, तथा वादी अन्नू उर्फ अन्नूराम जाति कोली के आगे ग्राम का नाम पिचूना तहसील रूपबास खातेदार की शुद्ध किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें।

पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा न. 1144 रकवा 0.51 वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई का वादी खातेदार काश्तकार काबिज है, तथा वादी अन्नू उर्फ अन्नूराम जाति कोली के आगे ग्राम का नाम पिचूना तहसील रूपबास खातेदार की शुद्ध किया जा सकता है।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकल किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है।

1. आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वाद पत्र खसरा न. 1144 रकवा 0.51 वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई का खातेदार काबिज है, अन्नू उर्फ अन्नूराम जाति कोली के ग्राम का नाम पिचूना अंकित करके आगे तहसील रूपवास खातेदारी की शुद्धी करा पाने का अधिकारी है। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। वादी द्वारा जमाबंदी संबत 2074–77 वाके ग्राम गादौली प्रदर्श –1 पर अन्नू पुत्र डालू जाति कोली

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

साकिन तहसील रूपवास अंकित है। नकल नामांतकरण सं. 485 वाके ग्राम गादौली प्रदर्श–2 में वादी अन्नू पुत्र डालू जाति कोली साकिन पिचूना तहसील रूपवास का अंकन है तथा नामांतकरण सं. 485 में वयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 13.06.1996 से इन्तकाल खोला गया , नकल भूप्रबंन्ध विभाग वाके ग्राम गादौली प्रदर्श–3 में भी अन्नू पुत्र डालू जाति कोली साकिन पिचूना तहसील रूपवास खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है, नकल वयनामा फोटोप्रति दिनांक 13.06.1996 प्रदर्श–4 में भी मंगल से क्रय की गई उक्त रकवा खसरा न. 835 रकवा 2 वीघा वाके ग्राम गादौली से वादी अन्नू पुत्र डालू जाति कोली साकिन पिचूना तहसील रूपवास से क्रय की गई, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबंध विभाग संबत 2060 वाके ग्राम गादौली प्रदर्श–5 पर हाल व गत खसरा नम्बरानों का मिलान होता है, नकल जमाबंदी संबत 2040–43 वाके ग्राम गादौली प्रदर्श – 6 में भी वादीगण की खातेदारी अंकित है। इस प्रकार सैटलमेन्ट विभाग द्वारा संबत 2060 सैटलमेन्ट में वादी अन्नू पुत्र डालू जाति कोली के सामने वादी के ग्राम का नाम पिचूना अंकित नहीं किया गया, तथा तहसील रूपवास खातेदारी अंकित की गई है। इस प्रकार वादी के ग्राम का नाम पिचूना है तथा ग्राम पिचूना का स्थाई निवासी है। इसलिये वादी के ग्राम का नाम पिचूना व तहसील रूपवास खातेदार की शुद्धी करा पाने का अधिकारी है, तथा वादी के मौखिक वयान से भी वादपत्र की ताहीद करता है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

2. आया वादी प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अधीनस्थ हल्का पटवारी गादौली को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है –उक्त तनकी को भी सिद्ध करने का भार वादीगण का था तनकी सं. 1 के निर्णय के आधार पर वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी भी वादी के हक में तय की जाती है।

3. आया वादी का रिकॉर्ड में नामान्तकरण सं. 485 से अन्नू पुत्र डालू जाति कोली साकिन पिचूना तहसील रूपवास अंकित करने से सहवन रह गया है, जो काबिल दुरूस्ती के है– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण का था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल नामांतकरण सं. 485 में वादी अन्नू पुत्र डालू जाति कोली साकिन पिचूना तहसील रूपवास के नाम अंकित है। जो कि सहवन से साकिन पिचूना तहसील रूपवास अंकन करने से रह गया है। जो काबिल दुरूस्ती के है। इसके विरोध में किसी [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः उक्त तनकी [illegible] के हक मकें तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
[illegible] जिला [illegible]

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि विवादित आराजी खसरा न. 1144 रकवा 0.51 है. वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई पर वादी अन्नू उर्फ अन्नूराम जाति कोली के आगे ग्राम का नाम पिचूना तहसील रूपवास खातेदार शुद्ध किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं करें। जिससे वादी के अधिकारों पर जबाल आवे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
27/01/21
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:16 IST
Reason: SelfAttested